न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम अकबर आदि

वाद सं0—693/18

मु0अ0सं0—184/2018

धारा—392,506120बी,411 भा0दं0सं0

थाना—भोजपुर

30.07.2018

अभियुक्त पप्पू की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0—693/18 मु0अ0सं0—184/2018 धारा——392,506120बी, 411 भा0दं0सं0 थाना—भोजपुर जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें रंजिशन झूठा फसाया गया है अतः जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा की पत्नी के कान में पहने एक जोड़ी टॉप्स, तीन जोड़ी वाली तथा तीन जोड़ी चॉदी की पाजेब, अल्मारी में रखे 85000/—रू0 लूटरकर ले जाने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त पप्पू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा——392,506120बी,411 भा0दं0सं0 में निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

ठाकुरद्वारा